

प्रारंभिक परीक्षा

एशियाई जायंट टॉर्टोइज (Asian Giant Tortoise)

संदर्भ

एशियाई जायंट टॉर्टोइज को नागालैंड के पेरेन में जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है।

एशियाई जायंट टॉर्टोइज के बारे में -

- यह मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ है।
- इसे "एशियाई विशालकाय कच्छप" भी कहा जाता है।
- **भौगोलिक वितरण:** भारत(मुख्यतः पूर्वोत्तर: नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश), बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है।
- **पसंदीदा आवास:** घने, नम निचले इलाके और पहाड़ी जंगल जो पत्तियों और झाड़ियों से भरपूर हों।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - दिनचर, एकान्तवासी, और आर्द्र परिस्थितियों में रहता है।
 - शाकाहारी - पत्ते, फल, मशरूम और सड़ने वाले पौधे खाते हैं।
 - इसे "जंगल का छोटा हाथी" उपनाम दिया गया है क्योंकि यह फलों को खाकर और बीजों को लंबी दूरी तक फैलाकर बीज फैलाने में सहायता करता है।
 - पोषक चक्रण और वन पुनर्जनन में मदद करता है।
 - मातृ व्यवहार: मादाएं जमीन के ऊपर घोंसले बनाती हैं और मातृवत देखभाल प्रदर्शित करती हैं (कछुओं में दुर्लभ)
 - यह उन बहुत कम कछुओं की प्रजातियों में से एक है जो अंडे देने के बाद अपने घोंसले की रखवाली करती है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची IV के अंतर्गत सूचीबद्ध



स्रोत: द हिंदू

भारत की लड़ाकू जेट ताकत

संदर्भ

छह दशकों से अधिक समय तक सेवा में रहने के बाद, मिग-21 लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना (IAF) से सेवानिवृत्त किए जाने वाले हैं।

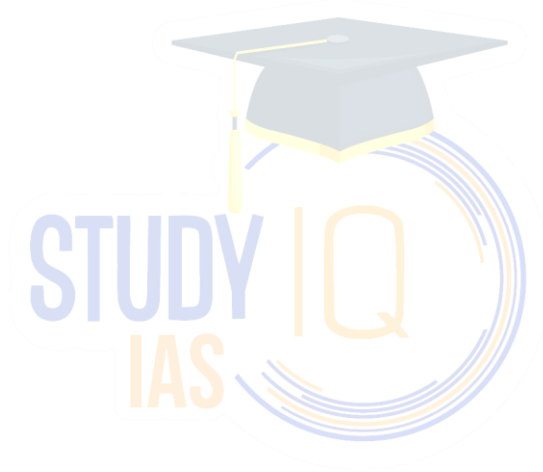
भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन: वर्तमान और परिवर्तित होते बड़े



लड़ाकू जेट प्रकार	स्क्वाड्रनों की संख्या	स्थिति	टिप्पणी
मिग-21 बाइसन	2 (नंबर 23 'पैंथर्स' और नंबर 3 'कोबरा')	सेवानिवृत्त (सितंबर 2025 तक)	मिग-21 संचालित करने वाली अंतिम इकाई; तीसरी इकाई को एलसीए एमके1ए मिलेगा
मिग-29UPG	3	सेवा में	उन्नयन कार्य चल रहा है; अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से फेज आउट कर दिया जाएगा
मिराज-2000	~3	सेवा में	एलसीए एमके2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; मूल्यवान बहुउद्देशीय बेड़ा
जगुआर	6	सेवा में (पुराने संस्करण)	जमीनी हमले की भूमिका; 2030 तक चरणबद्ध तरीके से फेज आउट कर दिया जाएगा
एसयू-30 एमकेआई	~12	भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार	260+ विमान सेवा में; नए जेट खरीदे जा रहे हैं; बड़े उन्नयन की योजना बनाई जा रही है
एलसीए तेजस एमके1	2	आपरेशनल	स्वदेशी; 83 Mk1A का ऑर्डर दिया गया है; 97 और आने की उम्मीद है

एलसीए तेजस एमके1ए	डिलीवरी 2025 से अपेक्षित	आगामी	83 जेट विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर; कुल 180 विमानों की योजना
एलसीए एमके2	योजनाबद्ध (अभी तक 0)	विकास में	मिग-29, मिराज-2000 और जगुआर की जगह लेने के लिए
एमआरएफए (मध्यम भूमिका लड़ाकू विमान)	विकासाधीन (114 नियोजित)	RFI चरण के अंतर्गत	इसका उद्देश्य मात्रा और क्षमता बढ़ाना है
एएमसीए (5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान)	नियोजित (120+)	अल्प विकास	प्रोटोटाइप लगभग 10 वर्षों में अपेक्षित

स्रोत: [द हिंदू](#)



मिलीभगत वाले मुकदमे(Collusive litigations)

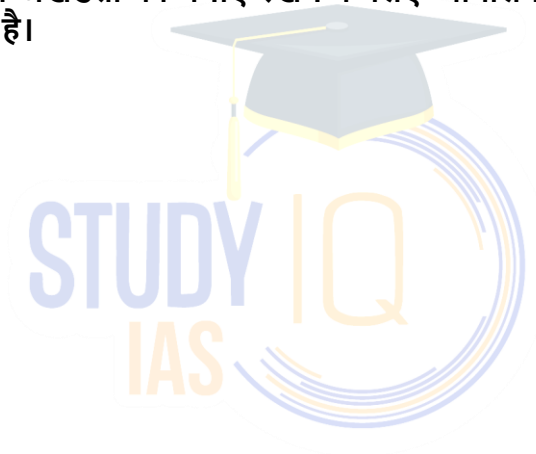
संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) के अधिकारियों द्वारा दायर "मिलीभगत वाले मुकदमों" का स्वतः संज्ञान लिया है।

मिलीभगत मुकदमेबाजी के बारे में -

- यह ऐसे मुकदमे को संदर्भित करता है जिसमें शामिल पक्ष वास्तव में विरोधी नहीं होते, बल्कि एक पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं।
- पक्षकारों का एक समान लक्ष्य या हित हो सकता है, अक्सर न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने या किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए।
- इस तरह के मुकदमे झूठे विवाद पैदा करके विरोधी व्यवस्था को कमजोर करते हैं और सामान्य विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- भारत में, मिलीभगत या धोखाधड़ी साबित होने पर मिलीभगत वाले आदेशों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन केवल उन पक्षों द्वारा जो मिलीभगत में शामिल नहीं हैं (अर्थात्, तीसरा पक्ष)।
- साबित करने का भार उस चुनौती देने वाले पर होता है जो आदेश को अमान्य करना चाहता है।
- न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए न्यायालयों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

स्रोत: [डेक्कन हेराल्ड](#)



समाचार संक्षेप में

आलू का पूर्वज टमाटर था

समाचार? एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि आधुनिक आलू का पूर्वज एक जंगली टमाटर प्रजाति थी।
खोज का विवरण -

- 450 खेती वाले आलू और 56 जंगली प्रजातियों के जीनोमिक विश्लेषण से पता चला कि:
 - आलू वंश की उत्पत्ति निम्नलिखित के बीच प्राकृतिक अंतःप्रजनन (संकरण) से हुई है:
 - एक जंगली टमाटर
 - लगभग 9 मिलियन वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका में आलू जैसी प्रजाति पाई जाती थी।
- आधुनिक आलू (सोलनम ट्यूबरोसम) निम्नलिखित का परिणाम है:
 - दो जंगली पूर्वजों का संकर:
 - पेरू की एक टमाटर जैसी प्रजाति (टमाटर जैसी दिखती थी, लेकिन उसमें कंद नहीं था)
 - बोलीविया की एक आलू जैसी प्रजाति (जिसमें कंद तो था, लेकिन वह टमाटर जैसा नहीं था)

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

राइसोटोप परियोजना(Rhisotope Project)

समाचार? एक दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय ने गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट करने का एक अवैध शिकार विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसे राइजोटोप परियोजना के नाम से जाना जाता है।

परियोजना के बारे में -

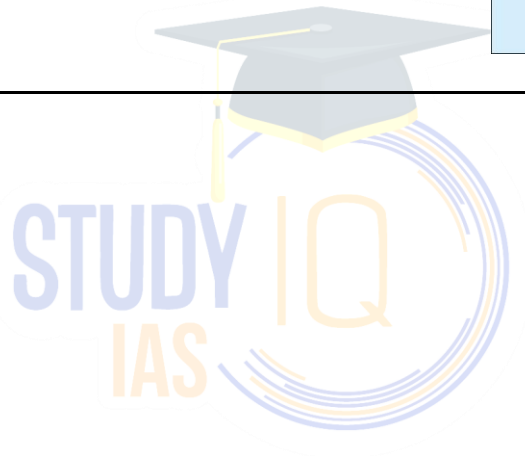
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसेंड विश्वविद्यालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
- उद्देश्य: गैंडे के सींग बनाकर अवैध शिकार को रोकना:
 - सीमाओं और बंदरगाहों पर विकिरण डिटेक्टरों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है
 - मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी और जहरीला (पारंपरिक चिकित्सा में)
 - तस्करों के लिए कम आकर्षक
- यह काम किस प्रकार करता है:
 - रेडियोधर्मी आइसोटोप को गैंडे के सींगों में गैर-आक्रामक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है।
 - ये आइसोटोप गैंडों के लिए हानिरहित हैं, जैसा कि वर्षों के सुरक्षा परीक्षण से सिद्ध हो चुका है।
 - इन टैग किए गए सींगों का पता रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर (RPM) का उपयोग करके आसानी से लगाया जा सकता है, जो दुनिया भर के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर पहले से ही स्थापित हैं।
 - परीक्षण के दौरान वास्तविक दुनिया में शिपिंग छिपाने का अनुकरण करने के लिए 3D-मुद्रित सींग प्रतिकृतियों का उपयोग किया गया।
- यह क्यों मायने रखती है:
 - गैंडों की संख्या 1900 में 500,000 से घटकर आज केवल 27,000 रह गयी है।
 - पिछले दशक में अकेले दक्षिण अफ्रीका में 10,000 से अधिक गैंडे मारे गए हैं।
 - सींग काटने जैसी पारंपरिक विधियां अवैध शिकार को कम करती हैं, लेकिन गैंडे के व्यवहार और सामाजिक संपर्क को नुकसान पहुंचाती हैं।
 - राइजोटोप परियोजना एक कम विघटनकारी, वैज्ञानिक रूप से ठोस विकल्प प्रदान करती है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में रहे अन्य समाचार

- 1 **परीक्षा पे चर्चा** ने अपने आठवें संस्करण (2025) में केवल एक महीने में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
- यह 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम है।
 - इसका उद्देश्य छात्रों (कक्षा 6-12) को, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर, परीक्षा तनाव का प्रबंधन करने, समय प्रबंधन में सुधार करने और सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद करना है।

- 2
- सूडानी अर्धसैनिक बलों ने कथित तौर पर एल-फशर के निकट एक गांव में घेरे गए शहर से भागने का प्रयास कर रहे 14 नागरिकों को मार डाला।**
 - सूडान की सीमा 7 देशों से लगती है:** मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरीट्रिया।



संपादकीय सारांश

भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन में लुप्त कड़ी

संदर्भ

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण बैटरी अपशिष्ट में भारी वृद्धि हो रही है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा एवं सतत आर्थिक विकास के लिए मजबूत, उचित मूल्य पर पुनर्चक्रण तथा प्रवर्तन आवश्यक हो गया है।

भारत में वर्तमान रुझान -

- **बढ़ती मांग:** लिथियम बैटरी की मांग 2023 में 4GWh से बढ़कर 2035 तक 139 GWh हो जाने का अनुमान है।
- **हरित ऊर्जा की ओर प्रोत्साहन:** भारत का 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य और नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली या BESS) का विस्तार इसके प्रमुख प्रेरक तत्व हैं।
- **ई-कचरा उत्पादन:** 2022 में उत्पन्न 1.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरे में लिथियम बैटरियों का योगदान 7,00,000 टन था।

ईवी बैटरियों से उत्पन्न चुनौतियाँ -

- **पर्यावरणीय जोखिम:** अनुचित निपटान के कारण खतरनाक पदार्थ (जैसे भारी धातुएं और रसायन) मिट्टी और पानी में रिस जाते हैं।
 - बैटरी अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा दीर्घकालिक पारिस्थितिक खतरा पैदा करती है।
- **अपर्याप्त पुनर्चक्रण अवसंरचना:** बैटरी अपशिष्ट का स्थायी प्रबंधन करने के लिए मजबूत पुनर्चक्रण ढांचे का अभाव।
 - उन्नत प्रौद्योगिकी, सुरक्षित रसद और कुशल श्रम की आवश्यकताओं के कारण उच्च पुनर्चक्रण लागत।
- **कम EPR फ्लोर मूल्य:** वर्तमान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) फ्लोर मूल्य बहुत कम हैं, जिससे वैध पुनर्चक्रण वित्तीय रूप से असंवहनीय हो जाती है।
 - यह धोखाधड़ी करने वाले पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है जो नकली प्रमाण पत्र जारी करते हैं या अपशिष्ट को डंप करते हैं, जैसा कि भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट क्षेत्र में देखा गया है।
- **कॉर्पोरेट गैर-अनुपालन:** कुछ बड़े उत्पादक भारत जैसे विकासशील देशों में अनुपालन से बचते हैं, हालांकि वे विकसित देशों में सख्त मानदंडों का पालन करते हैं।
- **मूल्यवान संसाधनों की हानि:** खराब पुनर्चक्रण से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मूल्यवान खनिजों की बर्बादी होती है, जिससे भारत की आयात निर्भरता बढ़ जाती है।
 - अपर्याप्त पुनर्चक्रण के कारण 2030 तक 1 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा हानि की संभावना।

बैटरी अपशिष्ट पर सरकारी पहल

- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 (BWMR):
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित
 - उद्देश्य: ईवी और पोर्टेबल बैटरियों सहित अपशिष्ट बैटरियों का सुरक्षित, वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।
 - प्रमुख विशेषताएँ:
 - बैटरी उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की शुरुआत की गई।
 - उत्पादकों को प्रयुक्त बैटरियों को एकत्रित करने तथा उनका पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग करने का आदेश दिया गया है।
 - लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसी मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
 - इको-डिज़ाइन और पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

समाधान

- **EPR फ्लोर मूल्य को पुनः निर्धारित करना:** एक उचित और वैश्विक रूप से तुलनीय EPR फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, जिसमें संग्रहण, सुरक्षित परिवहन, उन्नत पुनर्चक्रण विधियाँ, सामग्री पुनर्प्राप्ति शामिल हों।
 - कम कीमत से बचें - उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने 600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर अनिवार्य कर दी है, जबकि भारत का प्रस्ताव इसके एक-चौथाई से भी कम है।
- **प्रवर्तन को मजबूत करना:** EPR प्रमाणपत्रों की ट्रेकिंग को डिजिटल बनाना।
 - मजबूत लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करना।
 - गैर-अनुपालन और धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड लगाना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना:** अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित और एकीकृत करना।
 - पुनर्चक्रण मानकों में सुधार के लिए विनियामक और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- **उद्योग संवाद को बढ़ावा देना:** एक व्यवहार्य, टिकाऊ EPR मूल्य निर्धारण मॉडल तैयार करने के लिए नीति निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े, यह सुनिश्चित करना:** इस बात पर प्रकाश डालें कि उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि निर्माताओं ने वैश्विक धातु कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है।

निष्कर्ष -

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय अपरिहार्य है और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक है। लेकिन स्थायी बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से पुनर्चक्रण के बिना, भारत को गंभीर पर्यावरणीय क्षरण, आर्थिक नुकसान और अपने चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के लिए एक झटका का खतरा है। एक संशोधित EPR ढाँचा, उद्योग की जवाबदेही और अनौपचारिक क्षेत्रों का एकीकरण इस संकट को हरित विकास के अवसर में बदल सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

भारत में महामारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा अभी भी अस्पष्ट है

संदर्भ

भारत का आधिकारिक कोविड-19 मृत्यु आंकड़ा संभवतः महामारी के वास्तविक मृत्यु प्रभाव को कम करके दर्शाता है, जिसका कारण है मृत्यु का कम पंजीकरण, कमजोर मृत्यु प्रमाणन प्रणाली, और महामारी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी मौतों को दर्ज न कर पाना।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) क्या है?

- यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्म और मृत्यु की निरंतर, स्थायी और अनिवार्य रिकॉर्डिंग है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - कानूनी रूप से अधिदेशित: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत संचालित होता है।
 - प्रत्येक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
 - विकेन्द्रीकृत संचालन: राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रबंधित (उदाहरण के लिए, नगरपालिका कार्यालयों या पंचायतों के रजिस्ट्रार द्वारा)।
 - वार्षिक रिपोर्टिंग: पंजीकृत जन्म और मृत्यु पर वार्षिक डेटा प्रकाशित करता है।
 - हाल के आंकड़ों (जैसे, 2021 के लिए) ने मृत्यु दर में तेज वृद्धि दिखाई है।
 - स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकी प्रणालियों से संबद्ध: नीति विश्लेषण में नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) और मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणीकरण (MCCD) के साथ एकीकृत।

मृत्यु दर डेटा और निगरानी में प्रणालीगत अंतराल -

- अपूर्ण पंजीकरण: 29% मौतें (2016-20) अपंजीकृत थीं (एनएफएचएस-5)।
 - कोविड लॉकडाउन के कारण पंजीकरण सेवाओं में और देरी हुई या वे बाधित हुई।
- कम चिकित्सा प्रमाणन: 2021 में, पंजीकृत मौतों में से केवल 23.4% का ही चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित कारण था।
 - कई मामलों में, मौतें बिना चिकित्सा ध्यान दिए हुईं (2020 में 45%)।
 - इससे कोविड-19 मौतों की गलत श्रेणीकरण या पहचान न होने की स्थिति उत्पन्न होती है।
- कोविड से होने वाली मौतों का कम आकलन: आधिकारिक कोविड संख्या (5.33 लाख) और अतिरिक्त मौतों (2021 में 1.02 करोड़) के बीच विसंगति।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान लगाया है कि महामारी से 47 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है - भारत ने कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए इस पर विवाद किया है।
- अप्रत्यक्ष मृत्यु की गणना नहीं की गई: विलंबित उपचार, मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव, गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच संबंधी समस्याओं से होने वाली मौतें आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं की गई हैं।
 - केरल में 34% मौतें अप्रत्यक्ष रूप से महामारी से संबंधित थीं।
- राज्यों के बीच असमानताएं: बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के बावजूद केरल में अभी भी अंतराल हैं (उदाहरण के लिए, 2021 में समय के भीतर केवल 61% मौतें दर्ज की गईं)।
 - गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में CRS डेटा और आधिकारिक कोविड मौतों के बीच अधिक विसंगति दिखाई देती है।

इन अंतरालों के निहितार्थ -

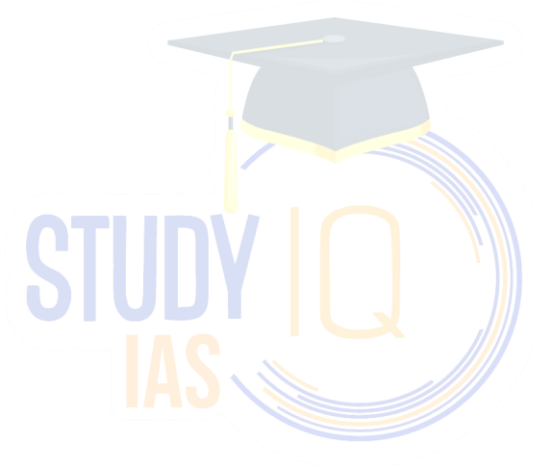
- गलत महामारी आकलन: कोविड से होने वाली मानवीय क्षति का सच्चाई से आकलन करने की भारत की क्षमता को कमजोर करता है।
- कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया: खराब निगरानी भविष्य की महामारियों या आपदाओं के लिए योजना बनाने में बाधा डालती है।

- **सामाजिक और नीतिगत अन्याय:** बिना दर्ज किए गए कोविड पीड़ितों के परिवारों को सरकारी मुआवजे या कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है।
- **विश्वास और जवाबदेही की हानि:** आंकड़ों में असमानता से संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है।
- **वैश्विक विश्वसनीयता दांव पर:** पारदर्शी घरेलू आंकड़ों के बिना विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर विवाद करना वैश्विक मंचों पर भारत की डेटा विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

आगे की राह -

- CRS और MCCD में सुधार कर पूर्णता और सटीकता बढ़ाई जाए।
- मृत्यु रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ कर स्वास्थ्य डेटाबेस से एकीकृत किया जाए।
- चिकित्सकीय प्रमाणन अनिवार्य किया जाए, विशेषकर अस्पताल में होने वाली मौतों के लिए।
- अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मृत्यु की सटीक रिपोर्टिंग और वर्गीकरण में प्रशिक्षित किया जाए।
- अगली जनगणना में मृत्यु से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएँ, ताकि अप्रत्यक्ष और कम दर्ज मौतों का आकलन किया जा सके।
- डेटा की पुष्टि के लिए स्वतंत्र मृत्यु ऑडिट या नमूना सर्वेक्षण कराए जाएँ।

स्रोत: [द हिंदू](#)



म्यांमार पर प्रगतिशील भारतीय नीति क्यों अधिक प्रशंसनीय है?

संदर्भ

म्यांमार में सैन्य शासन द्वारा आपातकाल समाप्त करने तथा दिसंबर में चुनाव की घोषणा करने के आलोक में, जबकि जटिल गृहयुद्ध जारी है, भारत को अपने पूर्वी पड़ोसी पर अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए म्यांमार के प्रति अपनी विदेश नीति को पुनः संतुलित करना होगा।

म्यांमार की सेना को चीन का रणनीतिक समर्थन -

- **प्रेरणा:** म्यांमार में चीनी हितों को संरक्षित करना, विशेष रूप से वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के तहत रणनीतिक बुनियादी ढांचे को संरक्षित करना।
- **समर्थन में शामिल हैं:**
 - जातीय सशस्त्र संगठनों (EAO) पर राजनयिक और राजनीतिक दबाव।
 - हथियार, विमान, ड्रोन और संचार प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति।
 - म्यांमार के रक्षा क्षेत्र में पायलटों को प्रशिक्षण देना तथा तकनीशियनों की तैनाती करना।
 - रखाईन राज्य में क्यूक फ्यू बंदरगाह जैसे प्रमुख OBOR बुनियादी ढांचे पर निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना।

भारत का उभरता रणनीतिक अवसर -

- **कारण:** म्यांमार के जातीय अल्पसंख्यकों और बामर बहुसंख्यकों के बीच बढ़ती चीन विरोधी भावना।
- **कारण:** चीन की बलपूर्वक रणनीति - जिसमें सीमा बंद करना, आपूर्ति में बाधा डालना और सैनिक शासकों को सैन्य सहायता देना शामिल है - ने म्यांमार की आबादी के बड़े हिस्से को अलग-थलग कर दिया है।
- **भारत के लिए निहितार्थ:** प्रतिरोधी समूहों के साथ जुड़ने, समावेशी विकास का समर्थन करने और अपने निकटतम पड़ोस में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक अवसर।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व -

- **रणनीतिक स्थान:**
 - **साझा सीमा:** भारत और म्यांमार चार पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ **1,643 किलोमीटर लंबी सीमा** साझा करते हैं।
 - **दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेशद्वार:** म्यांमार भारत की एकट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है तथा आसियान के लिए एक सेतु है।
- **भू-राजनीतिक बफर:** भारत और चीन के बीच रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है।
 - म्यांमार का चीन की ओर झुकाव भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर।
- **सुरक्षा चिंताएं:**
 - **पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद:** कुछ भारतीय उग्रवादी समूहों (जैसे एनएससीएन-के, उत्फा) ने म्यांमार क्षेत्र को सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया है।
 - **ऑपरेशन सनराइज** जैसे अभियानों के लिए म्यांमार सेना के साथ **आतंकवाद-रोधी समन्वय** महत्वपूर्ण रहा है।
- **आर्थिक एवं संपर्क हित:**
 - **प्राकृतिक संसाधन:** म्यांमार तेल, गैस, लकड़ी और दुर्लभ मृदाओं से समृद्ध है।
 - भारत ऊर्जा आयात और निवेश के अवसरों को सुरक्षित करना चाहता है।
 - म्यांमार के माध्यम से भूमि-समुद्र संपर्क को बढ़ाना आसियान के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सांस्कृतिक और जातीय संबंध:** लोगों के बीच मजबूत संबंध, विशेष रूप से सीमा पार चिन, कुकी और मिजो समुदायों के बीच।

- बौद्ध सांस्कृतिक विरासत सॉफ्ट पावर संबंधों को मजबूत करती है।

भारत-म्यांमार की प्रमुख परियोजनाएँ और समझौते -

- **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना:** यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सित्तवे बंदरगाह (म्यांमार) से, फिर नदी और सड़क मार्ग से मिजोरम से जोड़ती है।
 - इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करना है।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग:** 1,360 किलोमीटर लंबा राजमार्ग जो म्यांमार के रास्ते मोरेह (मणिपुर) को माई सोत (थाईलैंड) से जोड़ता है।
 - यह भारत को आसियान के साथ एकीकृत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
- **सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाएं:** भारत स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के सागाइंग और चिन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास (सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र) का समर्थन करता है।

2021 के तख्तापलट के बाद भारत को अपनी म्यांमार नीति को कैसे पुनर्गठित करना चाहिए -

- **लोकतांत्रिक ताकतों को रणनीतिक रूप से समर्थन देना:** संघीय लोकतंत्र के लिए प्रयासरत राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) और जातीय समूहों के साथ जुड़ना।
 - संविधान प्रारूपण और शासन सुधारों के लिए क्षमता निर्माण, कानूनी सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- **भारत के लोकतांत्रिक संघीय मॉडल का लाभ उठाना:** बहुजातीय संघवाद के प्रबंधन में भारत के अनुभव को साझा करना, जो प्रासंगिक है क्योंकि म्यांमार का विपक्ष 2008 के सैन्य-निर्मित संविधान को संघीय लोकतांत्रिक संविधान से प्रतिस्थापित करना चाहता है।
- **जुंटा को हथियार और ईंधन की आपूर्ति रोकना:** जुंटा को दोहरे उपयोग/सैन्य वस्तुओं की बिक्री तुरंत रोक देना, जो उनका उपयोग नागरिकों के खिलाफ करती हैं।
 - यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाता है तथा चीन के लेन-देन संबंधी संबंधों से दूर रखता है।
- **मानवीय सहायता एवं सीमा नीति सुधार:** सीमावर्ती जनजातियों के लिए मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को बहाल करना।
 - थाईलैंड के मानवीय गलियारों की तर्ज पर मिजोरम और मणिपुर में सीमा पार सहायता गलियारे खोले जाएंगे।
 - सैनिक नियंत्रण के बिना सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
- **शरण चाहने वालों और शरणार्थियों की सुरक्षा करना:** गैर-वापसी के सिद्धांत को कायम रखे, निर्वासन रोकें, और भागने वालों को शरणार्थी मानें, अवैध प्रवासी नहीं।
 - मानवीय शरणार्थी आश्रयों की स्थापना करें, विशेष रूप से साझा जातीय रिश्तेदारी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में।
- **मूल्य-आधारित कूटनीति के माध्यम से चीन को मात देना:** चीन के सैन्य शासकों के साथ सत्तावादी गठबंधन के विपरीत, भारत म्यांमार में संघीय लोकतंत्र और मानव सुरक्षा का चैंपियन बन सकता है।
 - इससे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा, सद्भावना बढ़ेगी और क्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा।

निष्कर्ष -

भारत को म्यांमार में व्यावहारिक राजनीति और लेन-देन संबंधी कूटनीति से आगे बढ़ना होगा। अपनी म्यांमार नीति को लोकतंत्र, मानव सुरक्षा और क्षेत्रीय एकजुटता पर केंद्रित करके, भारत:

- दक्षिण-पूर्व एशिया में नैतिक नेतृत्व पुनः प्राप्त कर सकता है,
- चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार कर सकता है,
- अपनी एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत कर सकता है, और
- क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है जिसका सीधा प्रभाव भारत की अपनी सीमा सुरक्षा पर पड़ता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

हीट एक्शन प्लान शहरों को ठंडा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

संदर्भ

- ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 50% से अधिक भारतीय जिले - जहां 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं - अत्यधिक गर्मी के कारण उच्च से लेकर बहुत उच्च जोखिम में हैं।
 - यह चिंताजनक प्रवृत्ति न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को उजागर करती है, बल्कि शासन और शहरी नियोजन संकट को भी उजागर करती है, जिससे भारत की हीट एक्शन प्लान (HAP) की पुनःकल्पना करने की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।

हीट एक्शन प्लान (HAP) क्या है?

- हीट एक्शन प्लान (HAP) स्थानीय नीतिगत उपकरण हैं जिन्हें अत्यधिक गर्मी के मानवीय और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इन्हें सबसे पहले 2013 में अहमदाबाद में शुरू किया गया था और अब इन्हें 23 ताप-प्रवण राज्यों के 250 से अधिक शहरों और जिलों द्वारा अपनाया जा रहा है।
- इनका उद्देश्य हीटवेव के दौरान प्रारंभिक चेतावनियों, जन जागरूकता, स्वास्थ्य तैयारियों और अनुकूली शहरी रणनीतियों का समन्वय करना है।

HAP के सामने आने वाली समस्याएं -

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव:** अधिकांश योजनाएं अल्पकालिक या प्रतिक्रियात्मक उपायों (जैसे, जल स्टेशन, परामर्श) पर केंद्रित होती हैं, न कि दीर्घकालिक जलवायु लचीलेपन पर।
 - जलवायु-संवेदनशील आवास या शहरी पुनर्रचना जैसे संरचनात्मक सुधार बड़े पैमाने पर अनुपस्थित हैं।
- अपर्याप्त वित्त पोषण और खराब समन्वय:** दीर्घकालिक उपाय अक्सर अपर्याप्त वित्त पोषण वाले, असमन्वित या अनुपस्थित होते हैं, जिससे उनकी समग्र प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- सीमित स्थानीय भागीदारी के साथ शीर्ष-स्तर की योजना:** HAP को अक्सर सामुदायिक इनपुट के बिना विकसित किया जाता है, तथा स्थानीय कमजोरियों और जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- असमान कार्यान्वयन और बहिष्करण:** धनी आबादी वाले और कम आय वाले शहरी क्षेत्रों को भूमि और बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण वृक्षारोपण या शीतलन रणनीतियों से बाहर रखा गया है।
- समस्या का संकीर्ण ढाँचा:** गर्मी को अभी भी मुख्य रूप से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में माना जाता है, जबकि यह श्रम अधिकारों, आवास, शहरी नियोजन और पर्यावरण न्याय के साथ जुड़ा हुआ है।

समाधान क्या हो सकते हैं?

- HAP को अनिवार्य एवं मानकीकृत करना:** HAP को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना तथा गुणवत्ता को मानकीकृत एवं निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित करना।
- दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना:** जलवायु-लचीले शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, जैसे:
 - परावर्तक निर्माण सामग्री
 - हरे रंग की छत
 - पेड़ों से भरी सड़कें
 - जल निकाय पुनर्स्थापन
- समावेशी एवं सहभागी योजना:** HAP के डिजाइन और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों, शहरी गरीबों और श्रमिकों को शामिल करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों के लिए लक्षित शीतलन:** सार्वजनिक शीतलन आश्रयों, जल पट्टों, वृक्ष आवरण के माध्यम से उच्च घनत्व वाली अनौपचारिक बस्तियों में शीतलन हस्तक्षेप को प्राथमिकता देना।

- **विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत दृष्टिकोण:** गर्मी के तनाव से समग्र रूप से निपटने के लिए **HAP** को आवास, श्रम, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन नीतियों के साथ जोड़ना।
- **डेटा और निगरानी प्रणालियाँ:** गर्मी से संबंधित बीमारियों और मौतों पर नज़र रखने के लिए प्रणालियों को मजबूत करना, और हस्तक्षेपों को निर्देशित करने के लिए डेटा का उपयोग करना।

स्रोत: [द हिंदू](#)

